



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934

No. 162]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सं. 28-15/2011-आयुर्वेद (न्यूनतम स्तर).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
 - (ख) 'कॉलेज' से आयुर्वेद महाविद्यालय या संस्थान जिसमें आयुर्वेद का स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है या प्रस्तावित है, अभिप्रेत है।
 - (ग) 'संलग्न अस्पताल' से आयुर्वेद महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण आयुर्वेद अस्पताल अभिप्रेत है।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. न्यूनतम मानक आवश्यकताएं:-

- (1) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित आयुर्वेद कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे।
- (2) यदि कॉलेज 31 दिसम्बर, 2014 तक इन अधिसूचित विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, उसे प्रवेश करने हेतु पांच वर्ष की अवधि से अधिक अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसके लिए यादृच्छिक जांच जो किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, के अतिरिक्त या जब तक केन्द्र सरकार या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवश्यक नहीं समझा जाय, कॉलेज का निरीक्षण नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय परिषद् अनुमति समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन करेगी।
- (3) सशर्त अनुमति केवल उन्हीं कॉलेजों को दी जायेगी जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का 28 फरवरी, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2014-15 हेतु अलग से किए गए निरीक्षण के आधार पर कम से कम अनुसूचि V में उल्लिखित शिक्षकों की आवश्यकता को, विनियम 7 के उपविनियम (2) में उल्लिखित क्रियाशील अस्पताल एवं अनुसूचि-VII में उल्लिखित उपकरण की उपलब्धता को पूरा करते हैं, ऐसे सशर्त अनुमति प्राप्त कॉलेज या जिन्हें अनुमति से इन्कार कर दिया गया, शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और/या 2014-15 हेतु, 31 दिसम्बर, 2014 तक विनियमों में उल्लिखित वांछित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- (4) समस्त विद्यमान कॉलेज, जो विनियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से आगे अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसे कॉलेजों के आवेदन, धारा 13क एवं 13ग के अधीन रद्द किये जायेंगे एवं अलग से अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

4. भूमि की आवश्यकता:- इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारिक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो। 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा। कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एम.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफएसआई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा। केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय

नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए। अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II में वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार कॉलेज एवं अस्पताल के लिए अलग से भवन होना चाहिए। भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या राज्य के नियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा। 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए यह शर्त लागू नहीं है।

स्पष्टीकरण- तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) या फ्लोर स्पेश इंडेक्स (एफएसआई) उस स्थान की भूमि के आकार के लिए इमारतों की कुल तल क्षेत्र अनुपात है या इस तरह के एक अनुपात पर लगायी सीमा पर है।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छत्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर और 61 से 100 छत्रों तक चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः कॉलेज एवं अस्पताल के लिए होगा। अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II में उल्लिखित विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निर्माण अलग-अलग किया जाना चाहिए।
- (2) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारिक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा। वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश क्षमता:- स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। यदि किसी भी कॉलेज में 60 से कम या 61 और 100 सीटों की प्रवेश क्षमता है, उसे अनुसूची-1 से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

- (2) शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:- छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति 1:1, 1:1 एवं 1:2 जैसा क्रमशः स्नातक पाठ्यक्रम के लिए तालिका-1 में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़ (1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका-1

वार्षिक प्रवेश क्षमता	अन्तरंग रूग्ण विभाग में न्यूनतम छात्र शय्या 1:1	प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम संख्या (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग) पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में अन्तरंग रोगी विभाग में	पिछले एक वार्षिक कलैण्डर में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम संख्या (1:2 विद्यार्थी-रोगी अनुपात)
60 छात्र	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

- (3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:- कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका, अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल के भी कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (4) स्थान आवश्यकता:- पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल उपयुक्त बड़ा बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगियों, प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, पंचकर्मी थैरेपी अनुभाग, क्षारसूत्र थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव, भण्डार, स्त्री एवं पुरुष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-1 के अनुसार होगा।
- (5) बाह्य रोगी विभाग:- अस्पताल में कम से कम निम्न 8 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-
- कायचिकित्सा
 - पंचकर्म
 - शल्य तंत्र

- (iv) शालाक्य तंत्र (दो कमरे बहिरंग रूग्ण कि लिए)
 (क) नेत्र रोग विभाग
 (ख) कर्ण-नासा-मुख एवं दंत रोग विभाग
- (v) प्रसूति एवं स्त्रीरोग
 (vi) कौमारभृत्य(बालरोग)
 (vii) स्वस्थवृत्त एवं योग
 (viii) अत्यायिक (आपातकाल)

(6) अन्तरंग रूग्ण विभाग:- अन्तरंग रूग्ण विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

अन्तरंग विभाग	वितरण	60 शय्या	100 शय्या
काय चिकित्सा (पंचकर्म, रसायन एवं मानस रोग आदि)	40% शय्या	24	40
शल्य तंत्र	20% शय्या	12	20
शालाक्य तंत्र	10% शय्या	6	10
प्रसूति एवं स्त्रीरोग	20% शय्या	12	20
कौमारभृत्य (बालरोग)	10% शय्या	6	10

- (7) रोग निदान एवं प्रयोगशालीय परीक्षण प्रयोगशाला (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला): अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं आयुर्वेदिक नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।
- (8) अस्पताल के कर्मचारी: 60 शय्याओं वाले अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी एवं शय्याओं के बढ़ाने के अनुपात में स्टाफ की बढ़ोतरी भी करनी होगी।

8. कॉलेज के लिए-

- (1) शिक्षण स्टाफ: अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु नौ अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों (माडर्न मेडीसिन के आठ शिक्षक तथा योग का एक शिक्षक) के साथ 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे।
- (2) शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु: शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।

शिक्षकों का पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में सेवा निवृत्ति की आयु तक पुननियुक्त किया जा सकता है।

- (3) तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता: महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. विविध आवश्यकताएँ-

- (1) कार्यालय सहायता: अधिष्ठाता, चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सुविधा प्राप्त होगी।
- (2) कॉलेज परिषद्: प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में समाविष्ट हो। पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार परिषद् की बैठक की जायेगी। परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।
- (3) कॉलेज की वेबसाइट: प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य अथवा चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
 - (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टाफ का विवरण।
 - (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज का गैर शिक्षण स्टाफ तथा चिकित्सालय स्टाफ।
 - (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
 - (ङ) चालू एवं गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी (स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर) के आधार पर सूची।
 - (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
 - (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
 - (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
 - (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
 - (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।

- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
 (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।

(4) बायोमेट्रिक उपस्थिति: शिक्षण, गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेबकैमरा सहित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति पद्धति पर आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति रखना वांछनीय है।

10. नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -

- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले आयुर्वेद कॉलेज को इस विनियम के उप-विनियम (2) से (5) में दिये गये चरणवार तरीके से आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को स्थापित करना होगा।
- (2) साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु कॉलेज छात्रों के प्रथम बेच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा।
- (क) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक वर्ष से कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय सहित एक भवन उस भूमि पर ही होना चाहिए।
- (ख) प्रथम व्यावसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ग) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कायाचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग तथा बाल रोग में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (घ) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें सौ छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टाफ हो।
- (ङ) प्रथम व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (च) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (छ) मानको के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टाफ का पचास प्रतिशत।

- (3) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा।
- (क) प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु कार्याचिकित्सा, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग तथा कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक तथा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए एक सौ पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों के लिए दो सौ पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ।
- (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (ङ) एक सौ पचास प्रजातियों की पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (च) कॉलेज के लिए पूर्णतः विकसित भवन तथा प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला।
- (छ) महाविद्यालय के पास शैथ्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय की भवन होना चाहिये।
- (ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का 75 प्रतिशत।
- (झ) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी पचास वर्गमीटर के न्यूनतम क्षेत्र की एक क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु साइड औषधि निर्माण शाला (रसायनशाला) होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (4) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व महाविद्यालय का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-
- (क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु कायचिकित्सा, शल्य, शालाक्य, प्रसूत तंत्र एवं स्त्री रोग तथा कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक तथा एक नैदानिक शिक्षक।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए एक सौ पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सट से सौ प्रवेशों के लिए दो सौ पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ।
- (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (ङ) एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधीय पौधों के बगीचे में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (च) कॉलेज के लिए पूर्णतः विकसित इमारत तथा प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला।
- (छ) कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय की भवन होनी चाहिये।
- (ज) मानको के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का 75 प्रतिशत।
- (झ) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी पचास वर्गमीटर के न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (5) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व, कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।

- (ख) विशिष्ट मानकों के अनुसार कॉलेज, चिकित्सालय तथा अन्य इकाईयों की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति की अपेक्षाएं।
- (ग) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय जिसमें साठ तक प्रवेश क्षमता हेतु 150 से अधिक के तथा सौ तक प्रवेश क्षमता हेतु 250 से अधिक के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ हो।
- (घ) एक पूर्णतः विकसित औषधी पौधों का बगीचा जिसमें कम से कम दो सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे हों।
- (ङ) कॉलेज के पास शैय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय की इमारत होनी चाहिये।
- (च) पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला तथा
- (छ) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (5) किसी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर विनियम 10 के अन्तर्गत उल्लिखित वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी। यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व परिषद् में आवेदन करे। अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
11. उपकरण, यन्त्र-समूह इत्यादि की सूची- छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।

अनुसूची-1

(विनियम 4, विनियम 5 का उप विनियम (1), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (4) एवं (7) देखें)

आयुर्वेद महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

क्रम संख्या	विवरण	प्लिनथ स्तर पर निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रक कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीयन		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	470
1.	कायचिकित्सा बाह्य रोगी विभाग शौचालय प्रसाधन एवं वाशबेसिन सहित		
2.	शल्य बाह्य रोगी विभाग शौचालय, वाश बेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	शालाक्य तंत्र बाह्य रोगी विभाग शौचालय तथा बेसिन सहित		
4.	स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षा कक्ष सहित		
5.	कौमारभृत्य (बाल रोग) बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाशबेसिन सहित		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग प्रदर्शन क्षेत्र, प्रसाधन कक्ष तथा वाशबेसिन सहित		
7.	अत्याधिक(हताहत) विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाश बेसिन सहित		
8.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, क्षार-सूत्र कक्ष		
9.	औषधालय		
10.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
11.	भण्डार		
12.	रोगियों के लिये पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650
1.	कायचिकित्सा पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		

2.	कायाचिकित्सा महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	पंचकर्म पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	पंचकर्म महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	शल्य पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
6.	शल्य महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	शालाक्य तंत्र वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
9.	कौमारभृत्य (बालरोग) वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
10.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
11.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टाफ ड्यूटी के लिए कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
12.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड		
1.	मुख्य शल्यकर्म कक्ष	150	250
2.	लघु शल्यकर्म कक्ष		
3.	शालाक्य शल्यकर्म कक्ष		
4.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
5.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
6.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव		
7.	स्क्रब कक्ष		
8.	दो पुनःश्चेतना कक्ष		
9.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानगृह सहित		
10.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
11.	परिचर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
VI	पंचकर्म खण्ड		
1.	स्नेहन कक्ष (पुरुष)	200	350
2.	स्नेहन कक्ष (महिला)		
3.	स्वेदन कक्ष (पुरुष)		
4.	स्वेदन कक्ष (महिला)		
5.	शिरोधारा कक्ष (पुरुष)		
6.	शिरोधारा कक्ष (महिला)		
7.	वमन कक्ष (पुरुष)		
8.	वमन कक्ष (महिला)		
9.	विरेचन कक्ष (पुरुष)		
10.	विरेचन कक्ष (महिला)		

11.	बस्ति कक्ष (पुरुष)		
12.	बस्ति कक्ष (महिला)		
13.	रक्त मोक्षण, जलौकावाचरण, अग्निकर्म, प्राच्छन इत्यादि कक्ष		
14.	पंचकर्म चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
15.	पंचकर्म भण्डार गृह		
16.	चार संलग्न प्रसाधन कक्ष पुरुषों के लिये तथा चार महिलाओं के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशबेसिन तथा गीजर की सुविधा हों। ये प्रसाधन वाडों के प्रसाधनों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	भौतिक चिकित्सा इकाई:	75	100
1.	भौतिक चिकित्सा कक्ष		
2.	भौतिक चिकित्सक कक्ष		
VIII	केन्द्रीय प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित दो सौ वर्ग मीटर का सुसज्जित तथा विस्तृत क्षेत्र। मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे। टी.एम.टी. ई.सी.जी. अथवा इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।	100	150
IX	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- विकिरणविज्ञानी कक्ष, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीयन अथवा रिपोर्ट कक्ष।	50	100
X	चिकित्सालय का पाकशाला तथा कैन्टीन:	100	150
XI	भण्डार/शवगृह	25	50
	कुल	2,000	3,500

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक आयुर्वेद कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।

अनुसूची-II

[देखें विनियम 4, विनियम 5 का उप-विनियम (1), विनियम 6 एवं विनियम 7 का उप-विनियम (7)]

आयुर्वेदिक कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	स्निग्ध स्तर पर निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्र
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।		
2.	व्याख्यान हाल: साठ छात्रों के लिए पांच व्याख्यान हाल एवं इकसठ से सौ छात्रों से अधिक के लिए दस व्याख्यान हाल, प्रत्येक अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र के होंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-2 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्रव्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में कम से कम सौ छात्रों के बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी।	100	200

	छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैचों के प्रवेश से पूर्व पुस्तकों की संख्या क्रमशः पांच हजार तथा सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।		
5.	शिक्षण विभाग: चौदह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए (प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष हेतु पच्चीस वर्गमीटर, सह-आचार्यों अथवा व्याख्याता हेतु पन्द्रह वर्गमीटर), एक छोटा विभागीय पुस्तकालय (पच्चीस वर्गमीटर), एक छोटा कार्यालय (पन्द्रह वर्गमीटर), गैर शिक्षण स्टाफ हेतु कार्य स्थान (पन्द्रह वर्गमीटर) तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष/विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	संहिता, संस्कृत तथा सिद्धान्त विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	रचना शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक हवादार शवच्छेदन हॉल (एग्जॉस्ट फेन्स तथा विशेषकर एयर कन्डीशन्स द्वारा हवादार), पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतित (फ्रीजर) सहित एक शव का संलेपन करने हेतु कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनॉटमी प्रयोगशाला सहित रचना शरीर संग्रहालय;	125	250
(iii)	क्रिया शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित क्रिया शारीर (फ्रीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(iv)	द्रव्यगुण विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;	125	250
(v)	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग तथा इसके अतिरिक्त रसशास्त्र प्रयोगशाला एवं संग्रहालय; औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला भी शिक्षण हेतु प्रयोग की जायेगी;	75	150
(vi)	निदान एवं रोगविज्ञान विभाग तथा इसके अतिरिक्त विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(vii)	या तो कॉलिज में अथवा अस्पताल में स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;	75	150
(viii)	अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय;	50	100

(ix)	कायचिकित्सा विभाग;	75	150
(x)	पंचकर्म विभाग;	37	75
(xi)	शल्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी (योग्या) प्रयोगशाला;	75	150
(xii)	शालाक्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष;	75	150
(xiii)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; तथा	50	100
(xiv)	कौमारभृत्य (बालरोग) विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; * टिप्पणी— सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहियें तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।	38	75
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद की औषधियां जैसे चूर्ण, वटी, गुग्गुलु, आसव अरिष्ट, स्नेह कल्प, क्षार तथा लवण, लौह, अवालेह, कूपिपक्वा रसायन इत्यादि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस - औषध एकीकरण होगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष प्रत्येक पचास वर्गमीटर क्षेत्र के उपलब्ध होंगे।	50	100
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक आयुर्वेद कॉलेज के निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।

अनुसूची-III

[विनियम 5 का उप-विनियम (2), विनियम 6 देखें]

एक आयुर्वेदिक कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के वनौषधि पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. निरीक्षण/परिदर्शन के समय, कम से कम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे उपलब्ध होने चाहिये।

अनुसूची-IV

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 7 का उप-विनियम (8) देखें]

आयुर्वेदिक कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या (1)	पद (2)	पात्रता (3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	1. मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता के रूप में पदेन। 3. यदि चिकित्सा अधीक्षक का पद प्रोफेसर पद से कम अर्हता सहित से कम न हो पहले से ही अस्तित्व में है तो चिकित्सा अधीक्षक का पद जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त नैदानिक विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग, जिनमें स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	02
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर. एम.ओ या आर.एएस.ओ या एम.ओ.	05 (01 कायचिकित्सा, 02 प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा 01 शल्य में तथा 01 कौमारभृत्य में)
6.	मैट्रन या परिचर्या अधीक्षक	01
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैय्याओं के लिए 1
8.	वार्ड अनुकर्मि अथवा आया	प्रति 20 शैय्याओं के लिए 1
9.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	02
10.	ड्रेसर	02
11.	भण्डारपाल	01
	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	02

12.	डार्क रूम परिचर	01
13.	शल्य कक्ष परिचर	01
	आधुनिक चिकित्सा स्टाफ	
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	01 अंशकालिक/संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	01 अंशकालिक/संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	01 (संविदा पर एलोपैथिक संज्ञाहरण में स्नातकोत्तर अथवा आयुर्वेदिक विद्याविशेष का संज्ञाहरण) शल्य विभाग से
19.	नेत्र विज्ञानी	01 अंशकालिक/संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	01 अंशकालिक/संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	01 (संविदा पर एलोपैथिक विकिरण विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा आयुर्वेदिक विद्या-विशेष का विकिरण विज्ञान) शल्य शिक्षण विभाग से।
22.	दंत चिकित्सा	01 अंशकालिक/संविदा पर
23.	एक्स-रे तकनीशियन अथवा विकिरण चित्रक	01
बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु पंचकर्म चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के लिए स्टाफ		
24.	पंचकर्म विशेषज्ञ	पंचकर्म शिक्षण विभाग के शिक्षक
25.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (आयुर्वेदिक)	01
26.	पंचकर्म परिचारिका	01 (कम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिका के अतिरिक्त)
27.	पंचकर्म सहायक	02 पुरुष तथा 02 महिला
28.	योग शिक्षक अथवा विशेषज्ञ	01 (स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग से)
शल्यकर्म कक्ष एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टाफ		
29.	शल्य एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान विशेषज्ञ	शल्य विभाग के शिक्षक
30.	शल्यकर्म कक्ष परिचर	01
31.	परिचारिकाएं	01, ये परिचारिकाएं कम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त होंगी।
प्रसव कक्ष		
32.	प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के शिक्षक
33.	मिडवाइफ	01

नैदानिक प्रयोगशाला		
34.	विकृतिविज्ञानी अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञानी	01
35.	प्रयोगशाला तकनीशियन	02
36.	चपरासी अथवा परिचर	01
शिक्षण औषधशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला		
37.	औषधशाला प्रबन्धक अथवा अधीक्षक	रस-शास्त्र, भेषज्य कल्पना का शिक्षक
38.	चपरासी अथवा परिचर	01
39.	कामगार	02(आवश्यकता के आधार पर अधिक संख्या)
40.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
41.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शैख्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी स्टाफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

अनुसूची-V

[विनियम 3 का उप-विनियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 8 का उप-विनियम (1) देखें]

आयुर्वेदिक कॉलेज शिक्षण स्टाफ का विवरण

क्र. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक (3)			61 से 100 छात्रों तक (4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	संहिता एवं सिद्धांत	1 अथवा 1		1 आयुर्वेद और 1 संस्कृत	1	1	1 आयुर्वेद और 1 संस्कृत
(2)	रचना शारीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	क्रिया शरीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	द्रव्य गुण	1 अथवा 1		1	1	1	1
(5)	रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	स्वस्थवृत्त एवं योग	1 अथवा 1		1	1	1	1
(8)	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	1 अथवा 1		1	1	1	1
(9)	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	1 अथवा 1		1	1	1	2
(10)	काय चिकित्सा	1	1	1	1	1	2
(11)	शल्य	1 अथवा 1		1	1	1	1
(12)	शालाक्य	1 अथवा 1		1	1	1	1
(13)	कौमार भृत्य (बाल रोग)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(14)	पंचकर्म	1 अथवा 1		1	1	1	1
		15		15	14	14	17
	कुल		30			45	

टिप्पणी:

- उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर निर्दिष्ट स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग में एक योग शिक्षक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के अठारह परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की कमी प्रत्येक विभाग में कम से कम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2012 के विनियम 12 के अन्तर्गत समवर्षी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता का प्रावधान पांच वर्षों की अवधि हेतु उच्च संकाय (प्राध्यापक तथा प्रवाचक) के पद हेतु भी लागू होगा।

अनुसूची-VI

[विनियम 6 तथा विनियम 8 का उपविनियम (3) देखें]

आयुर्वेदिक कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टाफ का विवरण

क्र. सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	1
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टाफ	4
3.	संहिता एवं सिद्धांत	परिचर	1
4.	रचना शारीर	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहलयपाल लिफ्टर	1 - 1
5.	क्रिया शरीर	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहलयपाल	1 -
6.	द्रव्य गुण	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहलयपाल	1 1
7.	रस शास्त्र	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक	1 1
8.	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहालय	2
9	स्वस्थवृत्त एवं योग	संग्रहालय	
10	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	परिचर	1 1
11	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	परिचर	
12.	काय चिकित्सा		
13.	शल्य		
14.	शालाक्य		2
15.	पंचकर्म		
16.	कौमार भृत्य (बाल रोग)		
17.	हरबल गार्डन	माली बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	1 2

(सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

अनुसूची-VII

[विनियम 3 का उप-नियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (7), विनियम 10 का उप-विनियम 3 (ज), विनियम 11 (देखें)]

(क) क्रिया शारीर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट
3.	हीमाटोक्ट्रीट ट्यूब
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर
5.	हीमोसाइटोमीटर
6.	स्फोग्मोमैनीमीटर
7.	स्टेथेस्कोप
8.	क्लीनिकल थर्मामीटर
9.	नी-हैमर
10.	ट्यूनिंग फोक्स
11.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
12.	स्टॉप वाच
13.	वाटर डिस्टिलेशन (स्टिल)
14.	थर्मामीटर, बैलेन्स, माइक्रोस्लाइडस
15.	कवर स्लिप, ग्लासवेयर
16.	सेन्ट्रीफ्यूज मशीन विद स्पीड कंट्रोल
17.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)
18.	पी.एच. मीटर इलेक्ट्रिक
19.	पी.एच. कम्पैरेटर विद डिस्क
20.	रेफ्रीजरेटर
21.	न्यूटनस कलर व्हील इन ए बैच
22.	स्पाइरोमीटर
23.	टोनोमीटर
24.	हाइड्रोमीटर
25.	विस्कोमीटर
26.	ओस्मोमीटर
27.	स्टेलग्मोमीटर
28.	स्टेरेलाइजर

(ख) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	खल्व यंत्र
(क)	स्माल
(ख)	मीडियम
(ग)	पोर्सेलेन
(घ)	तप्ता खल्व यंत्र
2.	हीटिंग डिवाइज
(क)	गैस स्टोव
(ख)	इलेक्ट्रिक स्टोव
(ग)	हॉट प्लेट
(घ)	चूल्हा (चारकोल)
3.	वेसल
(क)	फ्राइंग पेन
(ख)	स्टील वेसल
(ग)	स्पेटुला
(घ)	लिडलस एण्ड स्पूनस
(ङ)	नाइफ
(च)	प्लेटस
(छ)	समदश यंत्र (टोंग्स)
4.	विभिन्न आकार के मेजरिंग इक्विपमेन्ट्स
5.	बिग वेसल्स एण्ड कन्टेनर
(क)	ब्रास
(ख)	कॉपर
(ग)	स्टील इत्यादि
6.	विभिन्न धारिताओं की बेलेन्स
(क)	फिजिकल
(ख)	केमिकल
7.	पोउन्डिंग एप्रेटस (उलुरवाला यंत्र)
8.	सीक्स (एसोर्टड संख्या एवं आकार)
9.	वेट ग्राइन्डर
10.	मिक्सी
11.	जूस एक्सट्रेक्टर
12.	पुटस (विभिन्न प्रकार)
13.	पाइरोमीटर

14.	धर्मामीटर
15.	प्रेसर कुकर
16.	भूषा (कुसिबल्स)
17.	कोष्ठी विद ब्लोअर
18.	रेफ्रीजरेटर
19.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन पर्पस
20.	यंत्र
(क)	दोला यंत्र
(ख)	वलूका यंत्र
(ग)	पिठर यंत्र
(घ)	भूधारा यंत्र इत्यादि
21.	डिस्टीलेशन एपेटस एण्ड अर्क यंत्र
22.	इनेमल ट्रेज
23.	स्प्रीट लैम्प
24.	माइक्रोस्कोप
25.	अर्थेन वेसल पॉटस
26.	कुपिपक्व भट्टी
27.	भण्डारण हेतु अलमारियां एवं रैक्स

(ग) द्रव्यगुण (फार्माकोग्नोसी) प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण एवं यंत्र
1.	फील्ड मैग्निफायर
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप
4.	माइक्रोस्कोप
5.	स्लाइड बॉक्स कवर सहित
6.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर
7.	इलेक्ट्रोनिक्स वेलेन्स
8.	डिसेक्टिंग बॉक्स
9.	इनेमल ट्रे
10.	रेयजेन्टस
(क)	क्लोरोफार्म
(ख)	एल्कोहल
(ग)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
(घ)	सल्फ्यूरिक एसिड

(इ)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
(च)	बैन्डिकट सॉल्यूशन
(छ)	सोडियम नाइट्रेट
(ज)	पोटेशियम नाइट्रेट
(झ)	साइट्रिक एसिड
(ञ)	आयोडिन
(ट)	इथाइल एल्कोहल
(ठ)	पोटेशियम आयोडाइड
(ड)	जायलील/शुद्ध जायलीन (स्लाइड तैयार करने के लिए)

(घ) रोग निदान प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
2.	एक्स रे व्यू बॉक्स
3.	स्टरलाइज्ड डिस्पोसेबल वैन्सर/नीडल
4.	स्कैपर ट्यूब साहिली
5.	एच.बी. पिपेट
6.	ड्रॉपर
7.	ग्लास रोट
8.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट
9.	इम्पूव्ड न्योबार चैम्बर
10.	कवर स्लिप
11.	रेड सेल पिपेट
12.	साफ स्लाइड
13.	इन्क्यूबेटर
14.	विन्ट्रोब ट्यूब
15.	पैस्टयोर पिपेट
16.	रीट्रिफ्यूज ग्रेव्यूटी मशीन
17.	वैस्टरग्रैन पिपेट
18.	रबर शीट
19.	वैस्टरग्रैन स्टैण्ड
20.	लिटमस पेपर
21.	पीएच इन्डिकेटर पेपर रिट्रस
22.	थर्मोमीटर
23.	मल्टी स्टिक्स
24.	बनेसन बन्नर
25.	टेस्ट ट्यूब

26.	टेस्ट ट्यूब होल्डर
27.	फिल्टर पेपर
28.	स्टील अलमारी
29.	स्टील रैक
30.	विभिन्न आकार के ढक्कन सहित शीशे के जार
31.	ग्लास व्यू रैक
32.	मैग्नीफाइंग रैक
33.	आटोक्लेव
34.	वाटरबाथ
35.	विभिन्न प्रकार की पृथक करने हेतु फनल
36.	स्टाप वाच
37.	अल्ट्रावायलेट लैम्प
38.	मोनोआक्यूलर माइक्रोस्कोप आइल इमरसन लेंस 20 ई के साथ
39.	कैपिलरी ट्यूब
40.	हॉट एयर ओवन
41.	आइल इमरसन माइक्रोस्कोप के साथ
42.	रेफ्रिजरेटर
43.	स्टरलाइज्ड वैसिलस/ बोतल नमूने एकत्र करने हेतु
44.	बी.पी. अप्रेटस
45.	स्टेथस्कोप
46.	थर्मामीटर
47.	टंग डिप्रैसर
48.	टार्च
49.	नी हेमर
50.	मैसरिंग टेप
51.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट
52.	रिफ्लैक्टर (मिरर)
53.	वेइंग मशीन
54.	ट्यूनिंग फार्क
55.	नेशल स्पेकुलम
56.	लेरिजोस्कोप
57.	कैथेटरस
58.	प्रोब
59.	डिस्पॉसेबिल ग्लवस
60.	फिजिकल बैलेन्स
61.	सिरिन्ज निडल डिस्ट्रोयर

62.	एचबीएस ए.जी. किट
63.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)
64.	सीटी एण्ड बी.टी.किट
65.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)
66.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लाइपिड प्रोफाइल, ब्लड सुगर किट

(इ) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण
1.	शैडोलेस लैम्प
2.	सक्सन मशीन (न्यूनेटल)
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ
5.	रेडिएन्ट वार्मर
6.	फोटो थैरेपी यूनिट
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)
8.	रोगी ट्रॉली
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली
10.	एन्फेन्टोमीटर
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर
12.	फीटल डॉप्लर
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स
14.	स्टरलाइजर
15.	मशीनोटोस रबर शीट
16.	कैटगट एवं थ्रेड
17.	स्पेकुलम - सिम्स - कसकोस
18.	प्रसव के लिए साधन एवं इपी सियोटोनी (सीजर, फारसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)
19.	बेबी ट्रे
20.	ड्रा शीट
21.	प्लास्टिक एप्रन
22.	एचआईवी किट आत्मापिक रोगियों के लिए
23.	सामान्य एवं छिद्र सहित तौलिए
24.	ग्लव्स
25.	निबूलाइजर
26.	फोटोस्कोप
27.	ऑटो क्लेव
28.	ड्रम्स
29.	उपकरण ट्रे
30.	ऑपरेशन टेबिलस सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित

31.	डबल डोम सैडोलैस लैम्प
32.	पल्स ऑक्सीमीटर
33.	ऑक्सीजन सिलिंडर
34.	रिसक्सीसिटेशन किट
35.	वॉयलस एप्रेटस
36.	इलैक्ट्रो काटरी
37.	एमटीपी सक्शन मशीन
38.	एनस्थीसिया किट
39.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरैटर
40.	डायलेटर सेट (हिंगरस एण्ड हॉकिन्स)
41.	सिम्स स्पैकुलम
42.	एन्टैरिथर वैजाइनल बाल रिट्रेक्टर
43.	सिस्कोस स्पैकुलम
44.	यूटराइन साउन्ड
45.	वैलोस्लम
46.	एमटीपी सक्शन क्यूरैटर
47.	नीडिलस
48.	नीडिल होल्डर
49.	स्पंज हॉल्डिंग फोरसेप्स
50.	टॉयल क्लिपस
51.	एवडोमिनल रिट्रेक्टर (डायन अन्य)
52.	ग्रीन अमीटिज फोरसेप्स
53.	यूटरस हॉल्डिंग फोरसेप्स
54.	क्रोकस फोरसेप्स
55.	आरट्री फोरसेप्स (लॉग, शॉर्ट, मास्क्यूटो)
56.	विभिन्न आकार की कैंची
57.	आब्स्ट्रेटिक फोरसेप्स
58.	टंग डिप्रेसर
59.	एन्डोट्रिकियल ट्यूब
60.	बीपी एप्रेटस
61.	एचएसजी कैनल
62.	कार्ड काटने का उपकरण
63.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक
64.	ब्लैडर साउन्ड

(च) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
I	शल्य
1.	स्पोट लाइट (छत में फिटकी हुई सैडोलैस)

2.	नीडल होल्डिंग फॉरसेप्स (बड़ी छोटी मध्यम आकार)
3.	एप्रन
4.	स्पैसिमैन जार
5.	एसोर्टिड साइज के ड्रेसिंग ड्रम
6.	ड्रम स्टेण्ड
7.	आई.वी. स्टेण्ड
8.	एक्सरे व्यू बाक्स ;डबलछ
9.	सर्जन्स गाउन
10.	मास्क एण्ड कैप
11.	गौज, काटन एवं पट्टियों
12.	विभिन्न साइज के ग्लवस
13.	चीटल्स फॉरसेप्स
14.	टावल क्लिप्स
15.	कास्क्यूटो फॉरसेप्स
16.	सीधी कैंची (टेलर)
17.	विभिन्न साइज की कवर्ड सीजर
18.	स्टिज रिमुवल सीजर
19.	डिसैक्शन फॉरसेप्स
20.	साइनस फॉरसेप्स
21.	प्रोक्स एसोर्टिड साइज
22.	पाइन्टड सीजर्स
23.	गैस्ट्रिक इंटस्टिनल क्लैम्प (आक्लूसिव क्लिपिंग)
24.	एब्डामिनल रिटैक्टर्स
25.	टिशू फॉरसेप्स
26.	बैब कोक्स फॉरसेप्स
27.	कोचर्स फॉरसेप्स
28.	यूरिथ्रल डायलेटर
29.	रबर कैथेटर ऑफ असार्टड साइज
30.	मैटल कैथेटर
31.	कार्बोरेटड रबर ड्रेन
32.	सूचरिंग नीडल ;स्ट्रेट/कर्वेड
33.	सर्जिकल ग्रेड
34.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स
35.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टैक्टमी फॉरसेप्स
36.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स

37.	प्राक्टोस्कोप विद/विदआउट इल्यूमिनेटर
38.	बेगीज मेगार्स
39.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल
40.	एलीस फॉरसेप्स बिग
41.	पाइल होल्डिंग फॉरसेप्स
42.	आर्टरी फॉरसिप्स स्मॉल
43.	आर्टरी फॉरसिप्स बिग
44.	आर्टरी फॉरसिप्स मीडियम
45.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फ्लैक्सिबल
46.	बैरन पाइल्स गन
47.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)
48.	बोइल्स अपैरेटस
49.	मल्टीपैरामीटर मानीटर
50.	अम्बू बैग
51.	सक्शन मशीन इलेक्ट्रिकल/मैनुअल
52.	जनरेटर
53.	एमजैसेसी लाईट
54.	फायर एक्सटिंग्विशर
55.	स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ विद हैण्डल
56.	सर्जिकल ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट साइज
57.	बी.पी.हैण्डल ऑफ डिफरेंट साइज
58.	वर्टिकल बी.पी. इन्स्ट्रुमेन्ट
59.	सैल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर
60.	बोन ड्रिल मशीन
61.	बोन कटर
62.	गिग्ली सा
63.	स्कूप
64.	पैरीआरिस्टियम एलिवेटर
65.	मैग्लर फॉरसेप्स
66.	ई.टी.ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइज
67.	हाई प्रेशर आटोक्लेव
68.	फ्यूमिगेटर
69.	रैफरीजिरेटर
70.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर
71.	एग्जास्ट फैन

72.	एक्स-रे व्यू बॉक्स
73.	आटोलेनिन वाशिंग मशीन
74.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल
75.	शैडोलेस लैम्प सीलिंग
76.	एनस्थीसिया ट्राली/वाएल्स अपैरेटस
77.	इन्स्ट्रुमेन्ट ट्राली
78.	इन्डो ट्रेकियल ट्यूब
79.	अम्बू बैग
80.	प्राक्टोस्कोप विद या विदआउट इल्यूमिनेशन
81.	रिवाल्विंग स्टूल
82.	ग्रेविल सिरिन्ज
83.	स्ट्रेचर ट्राली
84.	मास्किटो फॉर्सेप्स
85.	पाइल होल्डिंग फॉर्सेप्स
86.	नीडिल होल्डर
87.	बी.पी. एप्रेटस
88.	सक्शन मशीन
II	शालाक्य
	नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण/यन्त्र
89.	क्रोएक्सियल इल्यूमिनेशन एण्ड फुट कंट्रोल के साथ आपरेटिंग माइक्रोस्कोप
90.	वडपोलार वेट फील्ड कार्ट्री
91.	मिनी हैलोजन लाईट (टेबल माउंटेड)
92.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद
93.	स्टेरिलाइजिंग बाक्स/मैट्स सहित कॅस
94.	लैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स
95.	किराटोम
96.	वराक्वथर वायर स्पैक्यूलम (युवा/वयस्क/वाल्यावस्था)
97.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर
98.	कैट पाव लैक्रिमल रिट्रेक्टर
99.	मूलर लैक्रिमल सेक रिट्रेक्टर
100.	डस्टूर आइरिस रिट्रेक्टर
101.	कार्ट्री विजो कैलीपर
102.	मीयरहाफर चेलोजियन क्यूरेट
103.	सिस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक
104.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर

105.	फारेन बाडी स्पड
106.	ल्विस लैन्स लूप ,वैक्टिसद्ध
107.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून
108.	म्यूल एक्सरेशन स्पून
109.	वैल्स इन्यूक्लेशन स्पून
110.	टाइरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डड)
111.	टूक्स कार्नीयल नाइफ
112.	ग्रेफ स्ट्रेबिस्मस हुक
113.	जेमसन मसल हुक
114.	स्मिथ लैन्स एक्सप्रेसर
115.	विल्स काट्टी विद कापर बाल पाइंट
116.	बराक्वयर ब्लेड ब्रेकर एण्ड होल्डर
117.	लैंगस लैक्रिमल सैक डिसेक्टर
118.	कैली ग्लूकोमा पंच
119.	वैस्ट लैक्रिमल चिसल
120.	इलिवेटर (डबल इण्डड)
121.	मैलट
122.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)
123.	पिगटेल प्रोब विद सचूर होल
124.	वाइल्डर पंक्टम डाइलेटर
125.	बोमैन लैक्रिमल प्रोब
126.	टावेल क्लैम्प
127.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स
128.	कोलिब्रो फॉर्सेप्स
129.	टाइंग प्लेट फार्म के साथ मैक फर्सन कार्नीयल फॉर्सेप्स
130.	केलमैन मैक फर्सन एंग्लड फॉर्सेप्स
131.	मैक फर्सन टाइंग फॉर्सेप्स
132.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड
133.	मूर फील्ड कंजक्टवल फॉर्सेप्स
134.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स
135.	बीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स
136.	अरूगा कैप्सुलर फॉर्सेप्स
137.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प
138.	चलैज़ियन क्लैम्प
139.	कैस्ट्रोविजो कार्नीयल सिज़र

140.	आइरिस सिज़र
141.	वैस्टकाट टेनोटामी सिज़र
142.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र
143.	डी-वेकर आइरिस सिज़र
144.	स्ट्रेबिस्मस सिज़र
145.	इन्यूक्लिएशन सिज़र
146.	बराक्वयर नीडल होल्डर
147.	कास्ट्रोविजो माइक्रो नीडल होल्डर
148.	सिल्कोक नीडल होल्डर विद सिड लाक
149.	एयर इन्जक्शन कैन्यूला
150.	हीलान एस्पिरेटिंग कैन्यूला
151.	ए.सी.वास कैन्यूला
152.	लैक्रिमल कैन्यूला
153.	हाइड्रोलाइसिस कैन्यूला
154.	जे-लूप कैन्यूला (राइट/लैफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)
155.	सिम्को डायरेक्ट आई/ए कैन्यूला विद सिलीकोन ट्यूबिंग
156.	इरिगेटिंग एस्पाइरेटिंग हैण्डल
157.	लैस डायलर
158.	सुपीरीयर रेक्टस फारसेप्स
159.	आई वास ग्लासेस (तर्पण कम हेतु)
160.	स्विमिंग गागल्स (तर्पण कम हेतु)
III	ई.एन.टी. में शल्यकर्म हेतु उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण
161.	आरल सिरिज
162.	जाबसन्स आरल प्रोब
163.	यूस्टेकियन कैथेटर
164.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर
165.	मैस्टाइड गाग
166.	मैलट
167.	मैस्टाइड सैल सीकर विद स्कूप
168.	नेजल फारेन बॉडी हुक
169.	नेजल पैकिंग फारसेप्स

170.	एंट्रल ट्रोकर केन्द्रला
171.	एंट्रल बर
172.	नेजल स्नेर
173.	फ्रीरस सेप्टल नाइफ
174.	बैलिंगर्स स्वीवेल नाइफ
175.	बेयोनेट शेड गाज
176.	वाल्समैन फारसेप्स
177.	लैरिन्जियल फारसेप्स
178.	वयल डेविस माउथ गाग
179.	टंग प्लेट विद घ्राट सक्सन
180.	टांसिल हौल्डिंग फारसेप्स
181.	टांसिलर सक्सन
182.	टांसिलर डिसेक्टर
183.	टांसिलर सुरार
184.	गिलोटिन
185.	एडिनायड कर्टल विद केज
186.	पेरीटांसिलर एब्सिस डेनिंग फारसेप्स
187.	फुलर्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब
188.	स्टेरिलाइजर बाक्स
189.	चीटल्स फारसेप्स
190.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान गल्प्स, सिरिज, बैन्डेजस सूचर्स आदि
191.	इ.एन.टी. आपरेटिंग माइक्रोस्कोप एण्ड लैंस

(छ) बहिरंग रुग्ण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

1.	कायाचिकित्सा	एक्स-रे व्यू बाक्स बी.पी. एप्रेटस स्टेथोस्कोप बैठने की व्यवस्था एग्जामिनेशन टेबल थर्मामीटर
----	--------------	---

		टंग डिप्रेसर
		काटन बाल्स
		टार्च
		मेजरिंग टेप
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड
		नी हेमर
		वाशबेसिन
2.	शल्य	हाथ धोने की व्यवस्था
		ड्रेनेज फैसिलिटी
		माइनर ओ.टी.
		इंस्ट्रुमेंट फार एनोरेक्टल एग्जामिनेशन
		एग्जामिनेशन टेबल
		बी.पी. एप्रेटस
		थर्मामीटर
		सर्जिकल ब्लेड
		काटन बाल्स
		गाज पीसस
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		स्टेथोस्कोप
		बैठने की व्यवस्था
		चीटल फारसेप्स
		टार्च
3.	शालाक्य	ट्यूनिंग फार्क
		आपथैल्मोस्कोप/फंडोस्कोप
		आरो स्कोप
		एग्जामिनेशन टेबिल
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		थर्मामीटर
		बैठने की व्यवस्था
		इ.एन.टी. किट
		टार्च
		बुल्स लैम्प
4	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	वेइंग मशीन
		सिम्स स्पैक्यूलम

		थर्मामीटर
		कस्कोस स्पैक्यूलम
		एग्जामिनेशन
		लैम्प स्टैण्ड
		टार्च
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		बैठने की व्यवस्था
		मेजरिंग टेप
		वासबेसिन
5.	बालरोग	स्केल
		वेइंग मशीन
		टार्च
		व्यू बाक्स
		थर्मामीटर
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		एग्जामिनेशन टेबिल
		बैठने की व्यवस्था
6.	पंचकर्मा	कायचिकित्सा के आधार पर
7.	योग एवं स्वास्थ्य रक्षण	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, फर्नीचर इत्यादि)
8.	आपात स्थिति	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, फर्नीचर इत्यादि)

प्रेमराज शर्मा, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/124/12]

नोट : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2012

No. 28-15/2011-Ay. (Minimum Standards).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) “college” means an Ayurveda College or Institute conducting or proposed to conduct degree course of Ayurveda;

(c) “attached hospital” means a teaching Ayurveda hospital attached to the college.

(2) Words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Minimum Standard Requirements.— (1) The Ayurveda colleges established under section 13A of the Act and existing Ayurveda colleges under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the minimum standards requirements of infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 by the 31st December, 2014 for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic years.

(2) If a college fulfills the requirement by the 31st December, 2014 as per these notified regulations, it shall be granted permission to undertake admissions for a period not exceeding five years during which the college shall not be inspected, except for random checks on receipt of any complaint, or otherwise as deemed necessary either by the Central Government or by the Central Council of Indian Medicine. The Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission.

(3) The conditional permission shall be granted only to those colleges which are fulfilling at least the requirement of teachers as specified in the Schedule-V, the requirement of functional hospital as specified at sub-regulation (2) of regulation 7 and availability of equipment as specified in the Schedule-VII for each academic year 2013-14 and 2014-

15 on the basis of the separate inspections to be carried by the Central Council of Indian Medicine after the 28th February, 2013 for the academic year 2013-14 and after the 31st December, 2013 for the academic year 2014-15. Such conditionally permitted colleges or which have been denied permission during academic year 2013-14 and/or 2014-15, will be required to fulfill the requirements as specified in these regulations by the 31st December, 2014.

- (4) All the existing colleges, which are not able to achieve full compliance of the requirement as specified in these regulations by the 31st December, 2014, shall be denied permission from academic year 2015-16 onwards and action as envisaged under section 21 of the Act shall be initiated against all such colleges apart from rejection of their applications under sections 13A or 13C, which have been under consideration by way of conditional permissions or denials.

4. Requirement of Land.- The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats. For intake capacity from sixty one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometer. The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land. The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio (FAR) or Floor Space Index (FSI) allowed by the competent authority or local laws or rules. A certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Central Government. There should be separate buildings for the college and hospital as per the requirements mentioned in the Schedule-I and the Schedule-II. The land should be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, of not less than ninety nine years or maximum permissible period as per State regulations. Renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease. This requirement is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003.

Explanation.- The floor area ratio (FAR) or floor space index (FSI) is the ratio of the total floor area of buildings on a certain location to the size of the land of that location, or the limit imposed on such a ratio.

5. Requirement of minimum constructed area.-

(1) College and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty and four thousand and three thousand and five hundred square meter area for college and hospital respectively for intake capacity of sixty one to hundred students. College and hospital should be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II.

(2) The college shall also maintain other infrastructural requirements like sufficient accommodation to work comfortably, for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital. The herbal garden should have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

6. **Admission Capacity.**- The annual intake capacity in under graduate course will be in the slabs of sixty and hundred. If any college has the intake capacity of less than sixty or within sixty one and hundred seats, it has to comply with the requirements for sixty or hundred seats respectively as mentioned in the Schedules-I to Schedule-VII.

7. **Requirements of teaching Hospital.**-

(1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union Territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union Territory shall verify the availability of such permission(s) or clearance(s) before issuing the No Objection Certificate to such applicant colleges.

(2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance:** The ratio of students with number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance shall be 1:1, 1:1 and 1:2, respectively for under graduate course, as given in Table-1. Distance between two beds in General Ward should not be less than one and a half meter.

Table-1.

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out Patient Department during last one calendar year (365 days) (1:2 student-patient bed ratio)
60 students	60 beds	24	120
61 to 100 students	100 beds	40	200

(3) **Maintenance of Record of attendance of Out Patient Department/In Patient Department patients:** The College and hospital shall maintain the computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out Patient Department and In Patient Department. The college shall also maintain the Department wise Out Patient Department and In Patient Department records, case papers of Out Patient Department and In Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc to substantiate the claim of genuine functional Ayurveda hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.

(4) **Space requirement:** The hospital shall be suitably spacious to accommodate Out Patient Department and In Patient Department and wards in addition to reception, patients' waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Pancharkarma therapy section, Ksharsutra therapy section, Operation Theatre, Labour Room, Store Rooms, separate wards

for male and female, Duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital. The specification of built up area in the attached hospital shall be as per Schedule-I.

(5) **Outdoor Patient Department:** The hospital shall have minimum eight following Out Patient Departments-

- (i) Kayachikitsa
- (ii) Panchakarma
- (iii) Shalya Tantra
- (iv) Shalakyia Tantra (two rooms for Out Patient Departments)
 - (a) Netra Roga Vibhaga
 - (b) Karna-Nasa-Mukha evam Danta Roga Vibhaga
- (v) Prasooti evum Striroga
- (vi) Kaumara Bhritya (Balaroga)
- (vii) Swasthavritta evum Yoga
- (viii) Aatyayika (Emergency)

(6) **In-Patient Department:** The indoor department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under -

In Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
Kayachikitsa (Panchakarma, Rasayana and Manas Roga etc)	40% beds	24	40
Shalya Tantra	20% beds	12	20
Shalakyia Tantra	10% beds	6	10
Prasooti evum Striroga	20% beds	12	20
Kaumara Bhritya(Balaroga)	10% beds	6	10

(7) **Rog Nidan avum Prayogshaliya Parikshan Prayogshala (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with proper infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule-II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Ayurvedic diagnostic techniques on the patients referred from outdoor and indoor departments of the hospital.

(8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for a sixty bedded hospital shall be as specified in the Schedule-IV and it shall be liable to be increased proportionately in accordance with the increase in required bed strength.

8. **Requirements of College.- (1) Teaching Staff:** There shall be minimum thirty full time teachers and forty five full time teachers appointed on regular basis for intake capacity of up to sixty students and sixty one to hundred respectively with the addition of nine part time teachers (eight teachers of Modern Medicine and one Yoga teacher) for each slab as specified in the Schedule-V.

(2) **Age of superannuation of teachers:** The age of superannuation of teachers shall be seventy years. Retired teachers fulfilling the eligibility norms of teachers can be re-employed up to the age of superannuation as full time teacher.

(3) **Requirement of technical and other staff:** Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.

9. Miscellaneous Requirements.-

(1) **Office Support:** Dean, Medical Superintendent and each department shall have independent computer and printer facility.

(2) **College Council:** Every medical college or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson. The Council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters. The Council shall also organize interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

(3) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, Registration Number, qualification, date of joining, complete address with telephone/mobile nos. and STD code, fax and E-mail etc;
- (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc;
- (c) non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
- (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduates;
- (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise (under graduate and post graduate) for the current and previous year;
- (f) any research publications during the last one year;
- (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
- (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
- (i) details of the affiliated university and its Vice-Chancellor and Registrars;
- (j) result of all the examinations of last one year;
- (k) detailed status of recognition of all the courses;
- (l) details of clinical material in the hospital.

(4) **Biometric Attendance:** It is desirable to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching, non teaching college staff and hospital staff.

10. **Phase wise specific requirements of new colleges.**— (1) An Ayurveda college seeking permission for starting Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (Ayurvedacharya) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish

infrastructure and manpower in phased manner as provided in sub-regulations (2) to (5) of this regulation.

(2) Before admission of the first batch of students for intake capacity of sixty students, the college shall have-

- (a) at the time of submission of application, there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 in the land earmarked for college and attached hospital for the last one year;
- (b) all teachers with the requisite qualifications as mentioned in Regulation 8, required for first professional year teaching should be available. Wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (c) at least one specialist doctor or clinical teacher, each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakyas, Prasooti Tantra evum Stri Roga and Bal Roga appointed for operating the hospital;
- (d) a library with two thousand books, sitting capacity of hundred students and adequate staff;
- (e) a properly furnished and well-equipped two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year teaching;
- (f) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land with plantation of at least one hundred species of medicinal plants; and
- (g) fifty percent of paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms.

(3) The College will be visited at least three months before the admission of the second batch of students and at that time the college shall have-

- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first and the second professional years teaching and training should be appointed. Wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (b) at least one specialist doctor and one clinical teachers in each of Kayachikitsa, Shalya, Shalakyas, Prasuti Tantra and Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;
- (c) a library with five thousand books, sitting capacity of hundred and fifty students for sixty admissions and two hundred and fifty sitting capacity from sixty one to hundred admissions and adequate staff;
- (d) a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years teaching;

- (e) one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (f) fully developed buildings for college and laboratories and teaching pharmacy;
 - (g) there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (h) seventy five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
 - (i) there shall be an Teaching Pharmacy (Rasayanashala) attached to Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana with minimum area of fifty square meter consisting of equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.
- (4) The College will be visited at least three months before the admission of third batch of students and at that time the college shall have-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first, second and third professional year teaching and training should be appointed. Wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (b) at least one specialist doctor and one clinical teachers in each of Kayachikitsa, Shalya, Shalakya, Prasuti Tantra and Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;
 - (c) a library with five thousand books, sitting capacity of hundred and fifty students for sixty admissions and two hundred and fifty sitting capacity from sixty one to hundred admissions and adequate staff;
 - (d) a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years teaching;
 - (e) one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (f) fully developed buildings for hospital, college and laboratories and teaching pharmacy;
 - (g) there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (h) seventy five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
 - (i) there shall be an Teaching Pharmacy (Rasayanashala) attached to Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana with minimum area of fifty square

meter consisting of equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.

- (5) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in Regulation 8 in the concerned subject and non-teaching staff required for the first, second, third and fourth professional years teaching and training;
 - (b) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with the specified norms;
 - (c) a library with seven thousand and five hundred books, sitting capacity of more than hundred and fifty (for up to sixty intake capacity) and two hundred and fifty person (for up to hundred intake capacity) and adequate staff;
 - (d) a fully developed medicinal plants garden with at least two hundred and fifty species of medicinal plants;
 - (e) there should be a fully developed hospital building with functional Ayurved hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (f) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities; and
 - (g) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital.

(5) The permission to establish a medical college and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as mentioned under regulation 10. It shall be the responsibility of the college to apply to the Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission. This process of renewal permission will continue till such time the establishment of the medical college is completed for passing-out of the first batch.

11. List of equipment, machinery, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent of required equipment, machinery etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedule-VII.

SCHEDULE-I

[See regulation 4, sub-regulation (1) of regulation 5, regulation 6, sub-regulations (4) and (7) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF AYURVEDA COLLEGE

Sl. No.	Particulars	Built up area at plinth level (in square meter)	
		Up to 60 students	61 to 100 students
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Total constructed area of hospital building	2,000	3500
II.	Hospital Administration Block:	100	150
	1. Superintendent room		
	2. Deputy Superintendent room		
	3. Medical officers' room (for two Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer)		
	4. Matron room		
	5. Assistant Matron room (for two)		
	6. Reception and Registration		
III.	Out-Patient Departments (OPD)	300	470
	1. Kayachikitsa Out Patient Department with toilet and wash basin		
	2. Shalya Out Patient Department with toilet, wash basin and Examination Room		
	3. Shalakyia Tantra Out Patient Department with toilet and wash basin		
	4. Stri Roga evum Prasooti Tantra Out Patient Department with toilet and Examination Room		
	5. Kaumar Bhritya (Balarog) Out Patient Department with toilet and wash basin		
	6. Swasthavritta evum Yoga Out Patient Department with demonstration area, toilet and wash basin		
	7. Atyayika (Casualty) section with toilet and wash basin		
	8. Dressing and First Aid Room, Kshar Sutra Room		
	9. Dispensary		
	10. Waiting Space space for patients		
	11. Store		
	12. Male and Female Toilets for patients		
IV.	In Patient Departments (IPD)	900	1400
	1. Kayachikitsa Male Ward with attached toilet and bath room		
	2. Kayachikitsa Female Ward with attached toilet and bath room		
	3. Panchakarma Male Ward with attached toilet and bath room		
	4. Panchakarma Female Ward with attached toilet and bath room		
	5. Shalya Male Ward with attached toilet and bath room		
	6. Shalya Female Ward with attached toilet and bath room		
	7. Shalakyia Tantra Ward with attached toilet and bath room		
	8. Prasooti evum Stri Roga Ward with attached toilet and bath		

Sl. No.	Particulars	Built up area at plinth level (in square meter)	
		Up to 60 students	61 to 100 students
		(3)	(4)
(1)	(2)		
	room		
9.	Kaumar Bhritya (Balaroga) Ward with attached toilet and bathroom		
10.	Doctors' duty room one for each department with attached toilet and bath		
11.	Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath.		
12.	Store room for linen, etc.		
	V. Operation Theaters Block.	150	250
1.	Major Operation Theatre		
2.	Minor Operation Theatre		
3.	Shalakya Operation Theatre		
4.	Labour Room with attached toilet and bath room		
5.	Neonatal care room		
6.	Central sterilisation/autoclave unit		
7.	Scrub room		
8.	Two Recovery room		
9.	Doctor's duty room with attached toilet and bath room		
10.	Interns/house officer/resident doctors room with attached toilet and bath room		
11.	Nursing staff room with attached toilet and bath room		
	VI. Panchakarma Block:	200	350
1.	Snehana Kaksha (Male)		
2.	Snehana Kaksha (Female)		
3.	Swedana Kaksha(Male)		
4.	Swedana Kaksha(Female)		
5.	Shirodhara Kaksha(Male)		
6.	Shirodhara Kaksha(Female)		
7.	Vamana Kaksha(Male)		
8.	Vamana Kaksha(Female)		
9.	Virechana Kaksha(Male)		
10.	Virechana Kaksha(Female)		
11.	Basti Kaksha(Male)		
12.	Basti Kaksha(Female)		
13.	Rakta Mokshana, Jalaukavacharana, Agnikarma, Pracchanna etc Kaksha		
14.	Panchakarma therapist/Physician's room		
15.	Panchakarma store room		
16.	Four attached toilet-baths for males and four for females with wash basin and geyser facility in each. These will be in addition to the toilets of wards.		
	VII. Physiotherapy Unit:	75	130
1.	Physiotherapy Room		

Sl. No.	Particulars	Built up area at plinth level (in square meter)	
		Up to 60 students	61 to 100 students
		(3)	(4)
(1)	(2)		
	2. Physiotherapist room		
	VIII. Central Laboratory: Well equipped and spacious area of two hundred square meter with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology. Attached toilet shall be there for collection of urine samples. Other diagnostic tools for ECG or TMT etc. shall be provided.	100	150
	IX. Radiology or Sonography Section: Radiologist chamber, X-ray room, Dark room, film drying room, store room, patients waiting and dressing room, reception or registration or report room.	50	100
	X. Hospital Kitchen and Canteen:	100	150
	XI. Stores/Mortuary:	25	50
	TOTAL	2,000	3,500

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within \pm 20% but the total area of attached hospital should be as per the area mentioned at regulation 5.
2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of an Ayurvedic College with annual intake capacity of sixty one to hundred students will correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned at regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 4, sub-regulation (1) of regulation 5, regulation 6 and sub-regulation (7) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDA COLLEGE

Sl. No.	Particulars	Built up area at plinth level (in square meter)	
		Up to 60 students	61 to 100 students
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total constructed area of college building	2,000	4000
(1)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee room, Clerks' room, Cash and Accounts section, Record room, Central store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(2)	Lecture Halls: There shall be five Lecture halls for sixty students and ten Lecture halls for above sixty one to hundred students, each of eighty square meter area, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans/coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(3)	Seminar or Conference or Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities	150	300
(4)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least hundred students, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans/coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Ayurveda, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand and seven thousand five hundred respectively before the admission of second and third batches of students. The college with existence for	100	200

Sl. No.	Particulars	Built up area at plinth level (in square meter)	
		Up to 60 students	61 to 100 students
(1)	(2)	(3)	(4)
	five years or more shall have ten thousand books.		
(5)	Teaching Departments: There shall be fourteen Teaching Departments each with rooms for teachers (twenty five square meter for Professor and Head, twenty square meter for Associate Professors or Readers and fifteen square meter for Assistant Professors or Lecturers), a small departmental library (twenty five square meter), a small office (fifteen square meter), working accommodation for non-teaching staff (fifteen square meter) and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department. Department wise area requirement shall be as under:-	Total 1200 square meter and break up may be as follows:	Total 2400 square meter and break up may be as follows:
	(i) Samhita, Sanskrit and Siddhanta Department plus Departmental library cum tutorial room;	50	100
	(ii) Rachana Sharir Department plus a well-ventilated Dissection Hall well-ventilated with exhaust fans and preferably air-conditioned, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Rachana Sharir museum with optional micro-anatomy laboratory;	125	250
	(iii) Kriya Sharir Department plus Kriya Sharir (Physiology) laboratory with optional facility for bio-chemistry testing;	75	150
	(iv) Dravyaguna Department plus Herbarium-cum Dravyaguna museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	125	250
	(v) Rasa Shastra evum Bhaisajya Kalpna Department plus Rasa Shastra laboratory and museum; Drug Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	75	150
	(vi) Nidan evum Rogavigyan Department plus Vikriti Vigyan (Pathology) Laboratory;	75	150
	(vii) Swasthavritta and Yoga Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital;	75	150
	(viii) Agada Tantra evum Vidhi Vaidyak Department plus museum;	50	100
	(ix) Kayachikitsa Department;	75	150

Sl. No.	Particulars	Built up area at plinth level (in square meter)	
		Up to 60 students	61 to 100 students
(i)	(2)	(3)	(4)
	(x) Panchakarma Department;	37	75
	(xi) Shalya Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery (Yogya) Laboratory;	75	150
	(xii) Shalakyia Department plus museum cum tutorial room;	75	150
	(xiii) Prasooti evum Stri Roga Department plus museum cum tutorial room; and	50	100
	(xiv) Kaumar Bhritiya (Balaroga) Department plus museum cum tutorial room. <i>*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.</i>	38	75
(6)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Ayurveda medicines like Churna, Vati, Guggulu, Asava-arishta, Sneha Kalp, Ksahar and Lavana, Lauh, Avaleha, Kupipakva Rasayana etc., a raw drug store and in-house drug identification	100	200
(7)	Common Rooms: Separate common rooms one each of fifty square meter area for boys and girls with adequate sitting arrangement shall be available.	50	100
(8)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about hundred persons shall be available in the college premises.	50	100

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within \pm 20% but the total area of an Ayurveda College should be as per the area mentioned at regulation 5.
2. The break-up of built up area requirement of an Ayurveda College with annual intake capacity of sixty one to hundred students will correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned at regulation 5.

SCHEDULE-III

[See sub-regulation (2) of regulation 5 and regulation 6]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF AN AYURVEDIC COLLEGE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Built up area (in square meter)	
		Up to 60 students (3)	61-100 students (4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty five to fifty square meter area shall exist with the college.	2500	4000

Note:

1. The above indicated area may vary within $\pm 20\%$ within the total area of Ayurvedic College as specified at regulation 4.
2. At the time of inspection/visitation, at least hundred fifty species of medicinal plants should be available.

SCHEDULE-IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (8) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDIC COLLEGE HOSPITAL STAFF

Sl.No. (1)	Post (2)	Eligibility (3)
1.	Hospital Superintendent	1. A recognized post graduate degree. 2. Principal or Dean as ex-officio. 3. The post of Medical Superintendent shall continue if it is already in existence <i>with not less than qualification of the professor.</i>
2.	Deputy Medical Superintendent	1. A recognized post graduate degree. 2. Full time regular incumbent with postgraduate qualification in a clinical specialty <i>other than the teaching staff.</i>
3.	Consultants	Teachers of clinical departments including Swasthavritta and Yoga Department.
4.	Emergency Medical Officers	2
5.	Resident Medical Officers or Surgical or Medical Officer (RMO or RSO or MO)	<i>05 (01 Kayachikitsa, 02 Prasuti and Striroga and 01 in Shalya and 1 in Kaumarbhrittya)</i>
6.	Matron or Nursing Superintendent	1
7.	Staff Nurses for In Patient Department	1 for every 10 beds.
8.	Ward Boy or Ayah	1 for every 20 beds.
9.	Pharmacists	2
10.	Dresser	2
11.	Store Keeper	1
	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	2
12.	Dark-Room Attendant	1
13.	Operation Theater Attendant	1
	Modern Medical Staff	
14.	Medical Specialist	1 part time/on contract
15.	Surgical Specialist	1 part time/on contract
16.	Obstetrician and Gynecologist	1 part time/on contract
17.	Pathologist	1 part time/on contract
18.	Anaesthesiologist	1 (Postgraduate in Allopathic Anaesthesiology on contract or Sangyahan of Ayurvedic discipline) from teaching department of Shalya.
19.	Ophthalmologist	1 part time/on contract
20.	Pediatrician	1 part time/on contract
21.	Radiologist	1 (Postgraduate in Allopathic Radiology on contract or Vikiran Vigyan of Ayurvedic discipline) from teaching department of Shalya.

Sl.No. (1)	Post (2)	Eligibility (3)
22.	Dentist	1 part time/on contract
23.	X-Ray Technician or Radiographer	1
Staff for Panchakarma Therapy Section for Out-Patient Department(Out Patient Department) and In-Patient Department(In Patient Department)		
24.	Panchakarma Specialists	Teachers of Panchakarma teaching department.
25.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Ayurvedic)	1
26.	Panchakarma Nurse	1 (in addition to the nurse indicated at sl.no. 7).
27.	Panchakarma Assistant	2 male and 2 female
28.	Yoga teacher or expert	1 (from Swasthavritta and Yoga Department)
Staff of Operation Theatre and Ksharsutra Therapy Section		
29.	Shalya and Ksharsutra Therapy Specialists	Teachers of Shalya department
30.	Operation Theatre Attendant	1
31.	Nurses	1; these will be in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7.
Labour Room		
32.	Prasooti evum Stri Roga Specialists	Teachers of Prasooti evum Stri roga department
33.	Midwife	1
Clinical Laboratory		
34.	Pathologist or Microbiologist	1
35.	Laboratory Technicians	2
36.	Peon or Attendant	1
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
37.	Pharmacy Manager or Superintendent	Teacher of Ras-Shastra, Bhaishajya Kalpana
38.	Peon or Attendant	1
39.	Workers	2 (Need base more number)
40.	Analytical Chemist (Part time)	(Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
41.	Pharmacognosist (Part time)	(Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)

Notes:

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washerman, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.

SCHEDULE-V

[See sub-regulation (3) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (1) of regulation 8]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN AN AYURVEDIC COLLEGE

Sl. No. (1)	Teaching Department (2)	Requirement of teaching staff								
		Upto 60 students (3)			From 61 to 100 students (4)					
		Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer			
(1)	Samhita and Siddhanta	1	or	1	1	Ayurved and 1 Sanskrit	1		1	Ayurved and 1 Sanskrit
(2)	Rachna Sharir	1	or	1	1		1	1	1	
(3)	Kriya Sharir	1	or	1	1		1	1	1	
(4)	Dravyaguna	1	or	1	1		1	1	1	
(5)	Rasashastra Evam Bhaisajya Kalpana	1	or	1	1		1	1	1	
(6)	Roga Nidan evam Vikriti vigyana	1	or	1	1		1	1	1	
(7)	Swasthavritta and Yoga	1	or	1	1		1	1	1	
(8)	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka	1	or	1	1		1	1	1	
(9)	Prasooti Tantra evam Striroga	1	or	1	1		1	1	2	
(10)	Kayachikitsa	1		1	1		1	1	2	
(11)	Shalya	1	or	1	1		1	1	1	
(12)	Shalakya	1	or	1	1		1	1	1	
(13)	Kaumarbhritya (Balroga)	1	or	1	1		1	1	1	
(14)	Panchakarma	1	or	1	1		1	1	1	
				15		15		14	14	17
	TOTAL			30				45		

Note:

- Apart from above, one Yoga teacher in the Department of Swasthavritta and Yoga and eight Consultants of Modern Medicine as specified at the Schedule-IV (SL. No.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.
- The deficiency of teachers shall not exceed more than 10% of total requirement with availability of at least one teacher in each department for seeking conditional permission to undertake admission.
- The provision of Post Graduate qualification in allied subjects under regulation 12 of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2012 shall be applicable also for the post of higher faculty (Professors and Readers) for a period of five years.

SCHEDULE-VI

[See regulation 6 and sub-regulation (3) of regulation 8]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF AN AYURVEDIC COLLEGE

Sl.No. (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian	1
		Assistant Librarian	1
		Library Attendant or Peon	1
2	College Office	Clerical staff for administrative and accounts services	4
3.	Samhita and Siddhanta	Attendant	1
4.	Rachna Sharir	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	-
		Lifter	1
5.	Kriya Sharir	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	-
6.	Dravyaguna	Laboratory Technician	1
		Museum Keeper	1
7.	Rasa Shastra	Laboratory Technician	1
		Laboratory Assistant	1
8.	Roga Nidan evam Vikriti Vigyan	Laboratory Technician	2
9	Swasthavritta and Yoga		
10	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka	Museum Keeper	1
		Attendant	1
11	Prasuti Tantra and Stri Roga		
12.	Kaya Chikitsa	Attendant	2
13.	Shalya		
14.	Shalakya		
15.	Panchkarma		
16.	Kaumarbhritya (Balroga)		
17.	Herbal Garden	Gardener	1
		Multipurpose worker	2

(The sweeper, attendant, lifter, laboratory assistant, Data Entry Operator (DEO), multipurpose worker could be on contractual basis)

SCHEDULE-VII

[See sub-regulation (3) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7, sub-regulation (3)(j) of regulation 10 and regulation 11]

(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY LABORATORY

S.NO.	Essential Equipment and Instruments
1.	Microscopes with oil immersion
2.	Westergen's pipette for ESR
3.	Haematocrit Tube
4.	Sahli's Haemoglobinometer
5.	Haemocytometer
6.	Sphygmomanometer
7.	Stethoscopes
8.	Clinical Thermometer
9.	Knee Hammer
10.	Tuning forks
11.	Electrocardiograph
12.	Stop watches
13.	Water Distillation still
14.	Thermometers, balances, Microslides,
15.	Cover slips, glassware
16.	Centrifuge with speed control
17.	Colorimeter (photoelectric)
18.	pH meter Electric
19.	pH comparator with disc
20.	Refrigerator
21.	Newton's colour wheel in a batch
22.	Spirometer
23.	Tonometer
24.	Hydrometer
25.	Viscometer
26.	Osmometer
27.	Stalagmometer
28.	Sterilizer

(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR RASASHASTRA and BHAISHAJYA KALPANA LABORATORY

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Khalva Yantra-
a.	Small
b.	Medium
c.	Porcelain
d.	Tapta khalvyantra
2.	Heating Device-
a.	Gas Stove

b.	Electric stove
c.	Hot plate
d.	Chulla (Charcoal)
3.	Vessels-
a.	Frying Pan
b.	Steel Vessel
c.	Spatula
d.	Ladles and Spoons
e.	Knife
f.	Plates
g.	Samdamsa Yantra(Tongs)
4.	Measuring Equipments Different Size (Glass)
5.	Big Vessels and Containers-
a.	Brass
b.	Copper
c.	Steel etc.
6.	Balance (Different Capacities)
a.	Physical
b.	Chemical
7.	Pounding Apparatus (Ulukhala Yantra)
8.	Sieves (Assorted Nos. and Size)
9.	Wet Grinder
10.	Mixi
11.	Juice Extractor
12.	Putas (Different kind)
13.	Pyrometer
14.	Thermo meter
15.	Pressure Cooker
16.	Moosha (Crucibles)
17.	Koshti with Blower
18.	Refrigerator
19.	Jars(Porcelain)Fermentation Purpose
20.	Yantras
a.	Dola Yantra
b.	Valuka Yantra
c.	Pithara Yantra
d.	Bhudhara Yantra etc.
21.	Distillation Apparatus and Arka Yantra
22.	Enamel Trays
23.	Spirit Lamp
24.	Microscope
25.	Earthen Vessels-Pots
26.	Kupipakva Bhatti
27.	Almiras and Racks for storage

(C) **DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHARMACOGNOSY LABORATORY [DRAVYAGUNA]**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Field magnifier
2.	Compound microscope
3.	Dissecting Microscope
4.	Microscope
5.	Slides box with cover slips,
6.	Blotting/filter papers
7.	Electronic balance
8.	Dissection Box
9.	Enamel Trays
10.	Reagents-
a.	Chloroform
b.	Alcohol.
c.	HCL
d.	Sulphuric acid
e.	Sodium, potassium hydroxide
f.	Benedict solution
g.	Sodium nitrate
h.	Potassium nitrate
i.	Citric acid
j.	Iodine
k.	Ethyl Alcohol
l.	Potassium Iodide
m.	Xylol/pure xylene (slide preparation)

(D) **DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR ROG-VIGYAN LABORATORY**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Binocular microscope
2.	X-ray view box
3.	Sterile disposable lancet/needle
4.	Sahli's Square tube
5.	Hb pipette
6.	Dropper
7.	Glass rod
8.	WBC Pipette
9.	Improved Neubauer chamber
10.	Cover slip
11.	Red cell pipette
12.	Cleaned slides
13.	Incubator
14.	Wintrobe's tube

15.	Pasteur's pipette
16.	Centrifuge Graduate machine
17.	Westergrens pipette
18.	Rubber teat
19.	Westergrens's stand
20.	Litmus paper
21.	pH indicator paper strips
22.	Urinometer
23.	Multi stix
24.	Bunsen burner
25.	Test tube
26.	Test tube holder
27.	Filter paper
28.	Steel almirah
29.	Steel rack
30.	Glass Jars with lid of different sizes
31.	Glass view rack
32.	Magnifying lens
33.	Autoclave
34.	Water bath
35.	Separating funnels of various sizes
36.	Stop watch
37.	Ultraviolet lamp
38.	Monocular microscope with oil emersion lens 20(e)
39.	Capillary Tubes
40.	Hot air oven
41.	Microscope with oil immersion
42.	Refrigerators
43.	Sterile vessels/bottle to collect samples
44.	BP Apparatus
45.	Stethoscope
46.	Thermometer
47.	Tongue depressor
48.	Torch
49.	Knee hammer
50.	Measuring Tape
51.	ENT examination set
52.	Reflectors(Mirrors)
53.	Weighing machine
54.	Tuning Forks
55.	Nasal speculum
56.	Laryngoscope
57.	Catheters
58.	Probes
59.	Disposable Gloves
60.	Physical balance
61.	Syringe needle destroyer
62.	HBs Ag kit

63.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)
64.	CT and BT kit
65.	Cell counter (haemoautoanalyser)
66.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit

(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Shadowless Lamp
2.	Suction Machine (Neonatal)
3.	Oxygen Cylinder and Mask
4.	Foetal Toco Cardiograph
5.	Radiant Warmer
6.	Photo therapy Unit
7.	Weighing Machine (Paediatric)
8.	Patient trolley
9.	Anaesthesia trolley
10.	Infantometer
11.	Vacuum extractor
12.	Foetal Doppler
13.	Low cavity forceps
14.	Steriliser
15.	Machintosh rubber sheet
16.	Catguts and Thread
17.	Speculum - Sim's -Cuscos
18.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)
19.	Baby tray
20.	Draw Sheets
21.	Plastic Aprons
22.	HIV kit for emergency patients
23.	Plain and Hole towels
24.	Gloves
25.	Nebuliser
26.	Foetoscope-
27.	Auto Clave
28.	Drums
29.	Instrumental Trolley
30.	OT tables and head Up and headlow facility
31.	Double dome Shadowless lamp
32.	Pulse Oxymeter
33.	Oxygen Cylinder
34.	Resuscitation kit
35.	Boyle's apparatus
36.	Electro Cautery

S.No.	Essential Equipment and Instruments
37.	MTP Suction Machine
38.	Anaesthesia Kit
39.	Blunt and Sharp Curretes
40.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)
41.	Sims's Speculum
42.	Anterior Vaginal Wall retractor
43.	Cysco's Speculum
44.	Uterine sound
45.	Volcellum
46.	MTP Suction Currate
47.	Needles
48.	Needle holders
49.	Sponge holding forcep's
50.	Towel Clips
51.	Retractors abdominal (Dooyne's etc.)
52.	Green armytage forceps
53.	Uterus holding forceps
54.	Kocher's forceps
55.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)
56.	Scissors- different sizes
57.	Forceps obstetrics
58.	Tongue depressor
59.	Endotrachial tubes
60.	B.P. apparatus
61.	HSG Canula
62.	Cord Cutting appliances
63.	I.U.C.D. removing hook
64.	Bladder Sound

(F). **DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OPERATION THEATRE**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
I	Shalya:
1.	Spot light (Shadowless ceiling fitted)
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)
3.	Aprons
4.	Specimens jar
5.	Dressing drums of Assorted size
6.	Drum stand
7.	IV Stand
8.	X-ray View Box (double)
9.	Surgeon's gown
10.	Mask and caps
11.	Gauze, cotton and Bandage
12.	Gloves of different size

13.	Cheetles Forceps
14.	Towel Clips
15.	Mosquito forceps
16.	Sciissors straight (Tailor)
17.	Sciissors curved of different sizes
18.	Stich removal Sciissors
19.	Dissection forceps
20.	Sinus Forceps
21.	Probes - Assorted size
22.	Pointed sciissors
23.	Gastric and Intestinal clamps (occlusive and crushing)
24.	Abdominal Retractors
25.	Tissue Forceps
26.	Bob Kock's Forceps
27.	Kocher's Forceps
28.	Urethral Dilators
29.	Rubber catheters of Assorted size
30.	Metal Cathetors
31.	Carrugated Rubber drain
32.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size
33.	Surgical Thread
34.	Sponge holding forceps
35.	Right Angle cholecystectomy Forceps
36.	Stone holding forceps
37.	Proctoscope with or without illuminator
38.	Bougies (Megars)
39.	Allies Forceps small
40.	Allies Forceps Big
41.	Pile holding forceps
42.	Artery Forceps small
43.	Artery Forceps big
44.	Artery Forceps Medium
45.	Sigmoidoscope Rigid/flexible
46.	Barron Pile's Gun
47.	Laryngoscope Pediatric/Adult
48.	Boyles Apparatus
49.	Multiparameter Monitor
50.	Ambu Bag
51.	Suction machine Electrical/Mannual
52.	Generator (Minimum 30 KV)
53.	Emergency light
54.	Fire Extinguisher
55.	Skin grafting knife with handle
56.	Surgical blades of different size
57.	BP Handle of different size
58.	Vertical BP Instrument
59.	Self Retaining Retractor
60.	Bone Drill Machine

61.	Bone cutter
62.	Giggly Saw
63.	Scoop
64.	Periosteum elevator
65.	Maggler Forceps
66.	E.T. Tubes of different sizes
67.	High Pressure Autoclave
68.	Fumigator
69.	Refrigerator
70.	Nitrous Oxide Cylinder
71.	Exhaust fan
72.	X.ray view box
73.	Autolenin Washing Machine
74.	Hydrolic Operation Table
75.	Shadow less lamp ceiling
76.	Anaesthesia Trolley/boyle's Appratus
77.	Instrument Trolley
78.	Endotracheal Tube
79.	Ambu Bag
80.	Proctoscope with or without illumination
81.	Revolving Stool
82.	Gabrial Syringe
83.	Strecher with trolley
84.	Mosquito forceps
85.	Piles holding forceps
86.	Needle holder
87.	BP Apparatus
88.	Suction Machine
II	Shalakya:
	Ophthalmic Equipments/ Instruments for Operative Surgery
89.	Operating Microscope with Coaxial Illumination and foot control
90.	Bipolar Wet field cautery
91.	Mini Halogen Light (table mounting)
92.	Ophthalmic Operation table with Head rest
93.	Sterilizing box/case with matts
94.	Lens insertion Forceps
95.	Keratome
96.	Barraquer wire speculum (adult/child/infant)
97.	Desmarres lid retractors
98.	Cat-paw lacrimal retractor
99.	Mueller lacrimal sac retractor
100.	Dastoor iris retractor
101.	Castro Viejo caliper
102.	Meyrhoefer Chalazion currete
103.	Sinsky lens manipulating hook
104.	IOL Manipulator
105.	Foreign body spud
106.	Lewis lens loop (vectis)

107.	Cystotome and spoon
108.	Mule Evisceration spoon
109.	Wells Enucleation spoon
110.	Iris repository (double-ended)
111.	Tooks Corneal knife
112.	Graefe Strabismus hook
113.	Jameson muscle hook
114.	Smith lens expressor
115.	Wills cautery with copper ball-point
116.	Barraquer blade braker and holder
117.	Langs lacrimal sac dissector
118.	Kelly Glaucoma punch
119.	West Lacrimal Chiesel
120.	Elevator (double ended)
121.	Mallet
122.	Nasal speculum adult/child
123.	Pigtail Probe with suture holes
124.	Wilder punctum Dilator
125.	Bowman lacrimal probes
126.	Towel clamp
127.	Hartman mosquito forceps
128.	Colibri forceps 1*2 teech
129.	Mc. person corneal forceps with tying platform
130.	Kelman Mc. Pherson angled forceps
131.	Mc. Phersons tying forceps
132.	Dressing forceps, serrated
133.	Moorfield conjunctival forceps
134.	Fixation forceps
135.	Beer cilea (epilation) forceps
136.	Arruga capsular forceps
137.	Snellen Entropion clamp
138.	Chalazion clamps
139.	Castroviejo corneal scissors
140.	Iris scissors
141.	Westcott tenotomy scissors
142.	Vannas straight scissors
143.	De-Weckers iris scissors
144.	Strabismus scissors
145.	Enucleation scissors
146.	Barraquer needle holder
147.	Castroviejo micro needle holder
148.	Silcok needle holder with sid lock
149.	Air injection canula
150.	Healon aspirating canula
151.	AC was canula
152.	Lacrimal canula
153.	Hydrodialysis canula
154.	J-loop canula (rt./lt. With silicon tubing)

155.	Simcoe direct I/A canula with silicon tubing
156.	Irrigating aspirating handle
157.	Lens dialer
158.	Superior Rectus forceps
159.	Eye wash glasses (for Tarpana Karma)
160.	Swimming Goggles (for Tarpana Karma)
III	ENT-Surgical/Operative Procedural Instruments
161.	Aural Syringe
162.	Jobson's Aural Probe
163.	Eustachian Catheter
164.	Mastoid Retractor
165.	Mastoid Gouge
166.	Mallet
167.	Mastoid Cell seeker with scoop
168.	Nasal Foreign Body hook
169.	Nasal packing forceps
170.	Antral Trocar Scannla
171.	Antral Burr
172.	Nasal Snare
173.	Freer's septal knife
174.	Ballinger's swivel knife
175.	Bayonet Shaped gouge
176.	Walshman's forceps
177.	Laryngeal forceps
178.	Boyle-Davis mouth gag
179.	Tongue plate with throat suction
180.	Tonsil holding forceps
181.	Tonsillar suction
182.	Tonsillar Dissector
183.	Tonsillar Suare
184.	Guillotine
185.	Adenoid curtple with cage
186.	Peritonsillar abcess draining forceps
187.	Fuller's Tracheostomy Tube
188.	Steriliser box
189.	Cheatel's Forceps
190.	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras etc.
191.	ENT operating microscope and lens

(G). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT

S. no.	Name of OUT PATIENT DEPARTMENT	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
1	Kayachikitsa	X-Ray View Box
		BP Apparatus
		Stethoscope

S. no.	Name of OUT PATIENT DEPARTMENT	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
		Sitting arrangement for internees/students
		Examination Table
		Thermometer
		Tongue depressor
		Cotton balls
		Torch
		Measuring tape
		Weight and height measuring stand
		Knee Hammer
		Washbasin
2	Shalya	Hand washing facility
		Drainage facility
		Minor OT
		Instruments for anorectal examination
		Examination Table
		BP Apparatus
		Thermometer
		Surgical Blades
		Cotton balls
		Gauze pieces
		X-Ray Viewing Box
		Stethoscope
		Sitting arrangement for internees/students
		Cheete's forceps
		Torch
3	Shalakyā	Tuning forks
		Ophthalmoscope/ fundoscope
		Auroscope
		Examination Table
		X-Ray Viewing Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Thermometer
		Sitting arrangement for internees/students
		ENT kit
		Torch
		Bull's lamp
4	Prasuti and Stri Roga	Weighing machine
		Sim's speculum
		Thermometer
		Cusco's speculum
		Examination Table
		Lamp stand
		Torch
		X-Ray Viewing Box

S. no.	Name of OUT PATIENT DEPARTMENT	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Sitting arrangement for interneees/students
		Measuring tape
		Washbasin
5	Bal Roga	Scale
		Weighing machine
		Torch
		View Box
		Thermometer
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Examination Table
		Sitting arrangement for interneees/students
6	Panchkarma	As per Kayachikitsa
7	Yoga Section (Swasth Rakhshan)	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)
8	Emergency	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT III/4/Exty./124/12]

*If any discrepancy is found between Hindi and English version of the namely "Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012" the English version will be treated as final.